न्यायालय सम्माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर (म०प्र०)

R - 1130 - II/13

(1) पुरूषोत्तम वल्द बलराम चौरसिया

(2) शोभा पत्नि मनोहरलाल चौरसिया

(3) स्वरूपरानी पत्नि रमेश चौरसिया

तीनो निवासी- तिली वार्ड सागर

तहसील व जिला सागर म०प्र०

--- पुनरीक्षणकर्तागण

।। बनाम ।।

अवधबिहारी वल्द सत्यनारायण सुनरया

निवासी- इतवारी टौरी सागर

तहसील व जिला सागर (म०प्र०)

-- रेस्पाडेन्ट

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू- राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षण कर्ता गण पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करते है :-

पुनरीक्षण कर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1-अ 12/012-013 में पारित आदेश, दिनांक 22-10-2012 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला—सागर

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1130—दो / 2013

पुरूषोत्तम आदि विरूद्ध अवधबिहारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
07—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री बी.डी. सोनी एवं अनावेदक की ओर से श्री रमाकांत बड़ौनियां अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी तहसीलदार सागर, जिला— सागर के प्रकरण क्रमांक 01 / अ—12 / 2012—13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 22—10—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 7/03/19 सदस्य	